भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 987

उत्तर देने की तारीख 27 जून, 2019

6 आषाढ़, 1941 (शक)

फुटबॉल के प्रोत्साहन हेतु नीति

987. श्री चुन्नी लाल साहू :

श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए कोई नीति/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे झारखंड के चतरा, लातेहार तथा पलामू और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जैसे जिलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने का विचार है और इस उद्देश्य के लिए क्या सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश के अत्यंत पिछड़े, नक्सल और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कोई खेल योजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र जैसे झारखंड के चतरा, लातेहार तथा पलामू और छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले सहित अन्य जिलों में प्रस्तावित और चालू खेल योजनाओं के नाम क्या हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : "खेल" राज्य का विषय होने के कारण खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) का होता है । केन्द्रीय सरकार उनके प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करती है । अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (एआईएफएफ) फुटबाल के लिए मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ है । एआईएफएफ द्वारा प्रस्तुत प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कलैंडर के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2018-19 में 23.08 करोड़ रु. तथा 2019-20 में 30 करोड़ रु. वित्तीय सहायता अनुमोदित

की थी । यह एआईएफएफ का उत्तरदायित्व है कि वह संबंधित राज्य और जिला सहयोगी संगठनों से परामर्श करके राज्य/जिला स्तर पर विकासात्मक प्राथमिकताओं की योजना बनाए । केन्द्रीय सरकार एआईएफएफ की योजना और विकास प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती ।

(घ) सरकार "खेलो इंडिया" स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके 12 घटक पूरे देश में लागू हैं । इन 12 घटकों में से "शान्ति और विकास के लिए खेल" नामक एक घटक देश के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए है ।

(ङ) इस मंत्रालय की प्रमुख खेल संवर्धन स्कीमें यथा "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम" और "खेलो इंडिया" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं ।

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, 8-25 वर्ष के आयु समूह में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें पोषित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित पूरे देश में निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें :

- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी)
- सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)
- साई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
- विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी)
- एसटीसी/ एसएजी के विस्तार केन्द्र
- उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)
- राष्ट्रीय खेल अकादमियां (एनएसए)

***